

~~प्रेषक,~~
अनिल कुमार बाजपेयी,
विशेष सचिव,
उपरोक्त शासन।

सेवा में,

निदेशक,
राज्य नगरीय विकास अभियान,
उम्पो, लखनऊ।

ब्रह्मरीय रोजगार एवं गरीबी

कृत्तिलक्षण कार्यक्रम विभाग।

तिष्य वित्तीय वर्ष २०

विकास योजनान्तर्गत जनपद-महोबा की 05 परियोजनाओं की वित्तीय स्वीकृति।

14410-112-001

महोदय, उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-2014/52/10/छ:/विविध/2017-18, दिनांक 12.07.2018 एवं पत्र संख्या-3329/52/10/छ:/विविध/2017-18 दिनांक 12.09.2018 के मंटर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि "मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत" वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत जनपद-महोदय की नगर पंचायत, खेरला की विभिन्न मलिन बस्तियों में इंटरलाकिंग रोड निर्माण कार्य से सम्बन्धित अलग-अलग 05 परियोजनाओं हेतु ₹0 60.89 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहित उक्त के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अर्थात् संलग्न तालिका के सतम्भ-6 में अंकित ₹0 30.445 लाख (रुपये तीस लाख चौवात्सव हजार पाँच सौ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-
श्री गज्जपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिवक्त्वों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

2. निर्देश/व्यवस्था का पूर्णरूपण अनुपालन करते हुए की जायेगी।
प्रश्नगत परियोजनाओं में प्रस्तावित कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रयोजना पर सक्षम स्तर/सूड़ा से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर/सूड़ा से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

3. उक्त धनराशि शासन द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार उक्त धनराशि शासन द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य की विशिष्टियाँ, मानक व उपर्युक्तानुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य की विशिष्टियाँ, मानक व गुणवत्ता आदि को सुनिश्चित करते हुए कार्य क्रमशः इस प्रकार कराये जायेंगे कि वे उपलब्ध धनराशि से ही गुणवत्ता आदि को सुनिश्चित करते हुए कार्य क्रमशः इस प्रकार कराये जायेंगे कि वे उपलब्ध धनराशि से ही गुणवत्ता आदि को सुनिश्चित करते हुए कार्य क्रमशः इस प्रकार कराये जायेंगे कि वे उपलब्ध धनराशि से ही

उक्त धनराशि यथा समय सम्बन्धित इडा (निर्माण इकाई) का उपलब्ध पारा का जाएगा। इसके अलावा उक्त धनराशि यथा समय सम्बन्धित इडा (निर्माण इकाई) को जिला स्तरीय शासी निकाय से अनुमोदित कराने के उपरान्त (निर्माण इकाई) द्वारा प्रश्नगत परियोजना को जिला स्तरीय शासी निकाय से अनुमोदित कराने के उपरान्त

१६ ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

12021/C
દ્વારા પ્રદાન કરીએ। બાળ ગતિ / એ

FC
12 12 18.

~~FC | प्रकटी एटी~~

कृष्णा २

5. स्वीकृत धनराशि को व्यय करने से पूर्व सूड़ा/इडा द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजना/आगणन का गठन वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-ई-8-1210-दस/2008 दिनांक 04.04.2008 के अनुरूप किया गया है।
6. उक्त धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। किसी प्रकार का व्यावर्तन अनुमन्य नहीं होगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
7. स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक/डाकघर/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।
8. उक्त प्रायोजना की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व कार्यदारी संस्था/सम्बन्धित इडा का होगा।
9. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधिकों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
10. उक्त धनराशि यथासमय सम्बन्धित इडा इकाई (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त परियोजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है, जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में स्वीकृत धनराशि तत्काल राजकोष में जमा कराकर शासन को सुचित किया जायेगा।
11. प्रश्नगत परियोजना से सम्बन्धित कार्यों की द्विरावृति/पुनरावृति न हो, यह सूड़ा/इडा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
12. उक्त धनराशि का आहरण निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा प्रमुख सचिव/सचिव, विशेष सचिव तथा संयुक्त सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त किया जायेगा।
13. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को ओडेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बातचर संख्या, तिथि तथा लेखाशीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
14. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अवश्य करा लिया जाये और इसके बाद उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि, यदि कोई हो तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।

15. सेन्ट्रेज चार्जेज (अधिष्ठान व्यय) की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-२-२३/दस-२०११-१७(४)/७५, दिनांक २५.०१.२०११ में जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों के क्रम में सुसंगत लेखा शीर्ष में जमा किया जायेगा।
16. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी, जितनी ३१ मार्च, २०१९ तक व्यय हो सके।
2. उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष २०१८-१९ में अनुदान संख्या-८३ में योजनान्तर्गत घस्तावित बजट में उपलब्ध धनराशि से लेखाशीर्षक “२२१७-शहरी विकास-०४-गन्दी बस्तियों का विकास-७८९ अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-०५-मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मतिन बस्ती विकास योजना-३५-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान” के नामे डाला जायेगा।
3. यह आदेश वित्त विभाग के अशा० पत्र संख्या-ई-९-१०१४/दस-२०१८, दिनांक २८ नवम्बर, २०१८ में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक - यथोक्त।

भूक्तीय,
७/११/१८

(अनिल कुमार बाजपेयी)
विशेष सचिव।

संख्या-६२०/२०१८/१६९३(१)/६९-१-१८, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, ३०प्र०,२० सरोजनी नायदू मार्ग, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, ३०प्र०, इलाहाबाद।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, ३०प्र०, छठवां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
4. प्रमुख सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, ३०प्र० शासन।
5. जिलाधिकारी/अं॒चल, जिला नगरीय विकास अभिकरण, महोबा।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-९, ३०प्र० शासन।
7. नियोजन अनुभाग-४, ३०प्र० शासन।
8. समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, ३०प्र० शासन।
9. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
10. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, ३०प्र०, लखनऊ।
11. सहायक वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेब साइट पर अपलोड कराने हेतु।
12. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

आज्ञा से,

(अखिलानन्द ब्रह्मचारी)
अनु सचिव।

शासनादेश संख्या-६२०/२०१८/१६९३(१)/६९-१-१८-११६(म०ब०-८३)/२०१८, दिनांक ०७ दिसम्बर, २०१८ का संलग्नक।

(भनराशि लाख रु० में)					
क्र० सं०	जनपद का नाम	निकाय/ नगर पंचायत का नाम।	बस्ती/वार्ड का नाम/कार्य का विवरण।	परियोजना की कुल लागत।	स्वीकृति की जा रही धनराशि।
1	2	3	4	5	6
1	महोबा	न००५० खरेला	वार्ड नं०-०१ के मो० जालिब खरेला में दरबारी लाल कुम्हार के मकान से बन्देव कुशवाहा के मकान तक इंटरलाकिंग व नाली का निर्माण कार्य।	11.30	5.65
2	तदैव	तदैव	वार्ड नं०-०३ के मो० मानिक खरेला में नथू कुशवाहा के मकान से भैयादीन अहिरवार के मकान तक इंटरलाकिंग व नाली का निर्माण कार्य।	9.07	4.535
3	तदैव	तदैव	वार्ड नं०-०३ के मो० मानिक खरेला में लखन कोरी के मकान से बबलू सोनी के मकान तक इंटरलाकिंग व नाली का निर्माण कार्य।	14.33	7.165
4	तदैव	तदैव	वार्ड नं०-०३ के मो० मानिक खरेला में सुम्मो कुम्हार के मकान से करण कुशवाहा के मकान तक इंटरलाकिंग व नाली का निर्माण कार्य।	9.62	4.81
5	तदैव	तदैव	वार्ड नं०-०३ के मो० मानिक खरेला में छिद्दी कोरी के मकान से धर्मन्द्र प्रजापति के मकान तक इंटरलाकिंग व नाली का निर्माण कार्य।	16.57	8.285
योग				60.89	30.445

(रूपये तीस लाख चौवालिस हजार पाँच सौ भास्त्र))।



(अधिलानन्द ब्रह्मचारी)

अनु सचिव।